न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 107/2016 निर्णय दिनांक :– 12.04.19

उनवानी :–

श्रीमति माना देवी पत्नि श्री भवंरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 –वादीया–

बनाम

1. मगतू पुत्र नेचल जाति बन्जारा निवासी महाराजकवंरपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. महेन्द्र पुत्र नेचल जाति बन्जारा निवासी महाराजकवंरपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. हेमराज पुत्र नेचल जाति बन्जारा निवासी महाराजकवंरपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. रानी पुत्री नेचल पत्नि पूरणचन्द जाति बन्जारा निवासी मालियो का मोहल्ला, बड़गांव, जिला कोटा राज0
5. बीना पुत्री नेचल पत्नि जगदीश जाति बन्जारा निवासी डेलपुरा, गुडडा देवजी जिला बून्दी राज0
6. मूर्ति पुत्री नेचल पत्नि मुकेश जाति बन्जारा निवासी देवपुरा, मोडसा जिला बून्दी राज0
7. घेवरी देवी पत्नि नेचल जाति बन्जारा निवासी महाराजकवंरपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] 1 ता 7 के पिता/पति नेचल पुत्र दीदार जाति बन्जारा निवासी [illegible] की खातेदारी एवं कब्जे की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0. [illegible] महाराजकवंरपुरा तहसील दूनी स्थित है जिसका नेचल खातेदार काबिज

काश्तकार था। नेचल ने अपने घरेलू आवश्यकता के लिये हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम महाराजकवंरपुरा को जरिये रजि0 विग्रय पत्र वादीया को 60,000/– रूपये अक्षरे साठ हजार रूपये मे दिनांक 28.05.2009 को बेचान कर दिया था और वादीया के हक में विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया था और मौके पर उक्त आराजीयात पर कब्जा संभला दिया था, आज भी मौके पर वादीया का कब्जा है और वादीया ही काश्त कर रही है। उक्त विक्रय पत्र पंजीयन होने के बाद वादीया ने कई बार विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण खोलने हेतु राजस्व कर्मचारियो को निवेदन किया लेकिन नेचल द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की जमीन पर ऋण लेने के कारण जमाबंदी मे गिरवी (रहन) बैंक का नोट लगा होने के कारण वादीया के नाम नामांतकरण नही खोला गया इस दोरान नेचल का रेहान्त हो गया और प्रतिवादीगण 1 ता 7 ने नेचल द्वारा लिये गये ऋण को चुकाकर फोती का नामांतकरण स्वंय के नाम खुलवा लिया। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम बतोर खातेदार अंकित है। वादिया ने कई बार प्रतिवादीगण 1 ता 7 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि यह जमीन मेरे द्वारा खरीदी हुई है, मेरे नाम नामांतकरण खुलवाओ तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिस पर वादीया ने कई बार प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय, दूनी को दिया न्याय आपके द्वार मे भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन वादीया की कोइ सुनवाई नही हुई। वादीया हाल खसरा नं0 304 जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद किया है और मौके पर काबिज है । उक्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादीगण 1 ता 7 कि पिता/पति द्वारा वादीया के हक मे करवाया गया है, नेचल का देहान्त हो गया है। प्रतिवादीगण 1 ता 7 उसके जायज मुकामान है। नेचल द्वारा जो विक्रय पत्र वादीया के हक मे करवाया गया है उससे प्रतिवादीगण भी पाबंद है इसलिये वादीया को हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम महाराजकवंरपुरा तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती की जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम हटाया जावे । प्रतिवादीगण 1 ता 7 आये दिन वादीया के कब्जे काश्त मे महामहत करते है तथा उक्त आराजीयात को विक्रय करने की धमकी देते है इसलिये उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीया के कब्जे मे मजामहत नही करे तथा उक्त उक्त विवादित भूमि को अन्य को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें।

प्रतिवादीगण 1 ता 7 की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 7 ने इकबालिया जवाब पेश किया। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 श्रीमती माना देवी पत्नी श्री भंवरलाल व पी. डब्ल्यू–2 दुर्गालाल पुत्र गोपी लाल जाति गुर्जर के पेश किये। अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श करवाये।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श–1 जमाबंन्दी संम्वत 2073–76 ग्राम महाराज कंवरपुरा तहसील दूनी, प्रदर्श–2 असल रजिस्टरी दिनांक 28.05.09 पेश की है। साक्ष्यवादी बंद कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

2

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। पजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.05.09 का अवलोकन किया जिसमें नेचल पुत्र दीदार जाति बंजारा ने श्रीमती माना देवी पत्नी भंवरलाल को मुबालिग 60000 रूपये मे खाता संख्या 40 ख. नं. 304 रकबा 0.69 है0 बारानी द्वितिय का विक्रय किया है तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र पर नामान्तकरण संख्या 85 से राहिन दर्ज है, लिखा हुआ है। जमाबंदी संम्वत 2073–76 में नेचल की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादीगण 1 ता 7 के नाम खोला गया है। अतः पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय करने के आधार पर जमाबंन्दी संम्वत 2070–76 के ख. नं. 304 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम महाराज कंवरपुरा तहसील दूनी का खातेदार घोषित किया जाता है और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य किसी माध्यम से वादिया के कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली